ด่วนที่สุด

ที่ พณ ๐๓๐๙.๐๙/๖.๑๘๒

สภาอุตสาหกรรมฯ
เลขที่รับ 06247
- 6 ต.ค. 2566
เวลา 11.00 น.

ถึง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กรมการค้าต่างประเทศ ขอแจ้งประกาศของหน่วยงาน Directorate General of Trade Remidies (DGTR) กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรม สาธารณรัฐอินเดีย ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง การเปิดไต่สวนการอุดหนุน (Countervailing Duty: CVD) สินค้า Epichlorohydrin ที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศไทย ในการนี้ ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกระบวนการไต่สวนและจัดส่งคำตอบแบบสอบถามถึงหน่วยงาน DGTR ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ dd15-dgtr@gov.in jd13-dgtr@gov.in adv11-dgtr@gov.in และ adg13-dgtr@gov.in ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับประกาศเปิดไต่สวนดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดประกาศดังกล่าวได้ตาม QR Code ที่แนบมา เพื่อทราบและแจ้งสมาชิกที่เกี่ยวข้องให้ทราบโดยทั่วกัน

กรมการค้าต่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์
๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า
โทร ๐๒ ๕๔๗ ๔๗๓๘
โทรสาร ๐๒ ๕๔๗ ๔๗๔๑

รับเอกสารแล้ว
ชื่อผู้รับ กม.(นภัทรา)
วันที่ 6 ต.ค. 2566/ 11:45 น.
โทรศัพท์

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102023-249103
CG-DL-E-03102023-249103

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 29, 2023/ आश्विन 7, 1945
No. 243] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 29, 2023/ ASVINA 7, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2023

मामला संख्याः सीवीडी (ओआई-02/2023)

विषय: थाइलैंड के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एपीक्लोरोहाइड्रीन" के आयातों से संबंधित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क/सब्सिडीरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. **06/24/2023-डीजीटीआर**.—1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे ''अधिनियम'' भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी प्राप्त वस्तुओं की पहचान, उन पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" अथवा सीवीडी नियमावली'' भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए मेघमनी फाइनकेम लिमिटेड (जिसे आगे आवेदक भी कहा गया है) ने थाइलैंड (जिसे आगे ''संबद्ध देश'' भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ''एपीक्लोरोहाइड्रीन'' (जिसे यहां आगे **"संबद्ध वस्तु"** अथवा **"विचाराधीन उत्पाद"** या **"ईसीएच"** भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच की शुरूआत करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

क. सब्सिडीकरण का आरोप

2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों/निर्यातकों को विभिन्न प्रदेशों और नगर पालिकाओं जिनमें ऐसे उत्पादक/निर्यातक स्थित हैं और अन्य ''सार्वजनिक निकायों'' की सरकारों सहित थाइलैंड की सरकार में विभिन्न स्तरों द्वरा प्रदत्त कार्रवाई योग्य सब्सिडियों से लाभ मिलता है । आवेदक ने सार्वजनिक डोमेन में यथाउपलबध संगत सरकारी एजेंसियों और लोक निकायों के संगत कानूनों, नियमावली और विनियमों तथा अन्य अधिसूचनाओं पर भरोसा किया है ।

ख. परामर्श

3. सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी करार के अनुच्छेद 13 के अनुसार, 25 सितंबर 2023 को एक बैठक निर्धारित करके थाईलैंड साम्राज्य की सरकार को परामर्श का अवसर दिया गया था। हालाँकि, थाईलैंड साम्राज्य की सरकार इस बैठक में शामिल नहीं हुई। तदनुसार, प्राधिकरण जांच शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

ग. सब्सिडी कार्यक्रम

4. आवेदक द्वारा प्रदत्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य दर्शाते हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों और निर्यातकों को संबद्ध देश में सरकार और/या अन्य सार्वजनिक निकायों द्वारा प्रदत्त अनेक सब्सिडयों से लाभ मिला है ।

कार्यक्रम 1	मशीनरी के आयातों पर आयात शुल्क से छूट
कार्यक्रम 2	निर्यातित वस्तु के उत्पादन में प्रयोग के लिए आयातित कच्ची या अनिवार्य सामग्री पर आयात शुल्क से छूट ।
कार्यक्रम 3	थाइलैंड में नहीं उत्पादित या उसकी मूलता में नहीं मिलने वाली कच्ची या अनिवार्य सामग्री पर आयात शुल्क से छूट
कार्यक्रम 4	शुल्क ड्रॉ बैक
कार्यक्रम 5	निर्यातों के लिए कर और शुल्क प्रतिपूर्ति
कार्यक्रम 6	आयकर से छूट
कार्यक्रम 7	बौद्धिक संपदा शुल्क पर आयकर से छूट
कार्यक्रम 8	अर्जित लाभांश पर आय कर से छूट
कार्यक्रम 9	निवेश संवर्धन जोन के बारे में छूट
कार्यक्रम 10	बांडेड वेयर हाउस के लिए आयात शुल्क से छूट
कार्यक्रम 11	प्रतिस्पर्धी वृद्धि को बढ़ाने के लिए मैरिट आधारित अतिरिक्त प्रोत्साहन
कार्यक्रम 12	आयातित मशीनरी, औद्योगिक संपदा क्षेत्र में कंपनियों द्वारा कारखाने के निर्माण के लिए पूंजीगत सामान या वस्तुओं पर कर या शुल्कों से विशेष छूट
कार्यक्रम 13	औद्योगिक संपदा क्षेत्र में कंपनियों द्वारा आयातित कच्ची सामग्री पर करों या शुल्कों से विशेष छूट
कार्यक्रम 14	औद्योगिक संपदा क्षेत्र में कंपनियों के लिए पर्याप्त से कम मूल्य पर बिजली की आपूर्ति
कार्यक्रम 15	औद्योगिक संपदा क्षेत्र में कंपनियों के लिए पर्याप्त से कम मूल्य पर भूमि का प्रावधान
कार्यक्रम 16	निर्यात के लिए लक्षित वस्तुओं के उत्पादन हेतु कच्ची सामग्री, इनपुट या पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए अल्पावधिक ऋण
कार्यक्रम 17	उत्पादन क्षमता के विस्तार के लिए निर्यातकों को मध्यम-दीर्घावधिक ऋण
कार्यक्रम 18	उत्पादों के निर्यात में शामिल एसएमई और छोटे व्यवसायों को अल्पावधिक ऋण बीमा
कार्यक्रम 19	निर्यातकों के लिए मध्यम या दीर्घावधिक निर्यात बीमा

5. यह आरोप लगाया गया है कि उक्त स्कीमें सब्सिडयां हैं क्योंकि उनमें सार्वजनिक निकायों सहित थाइलैंड की सरकार या अन्य सरकारों से वित्तीय अंशदान शामिल है और प्राप्तकर्ता को लाभ मिलता है । ये निर्यात कार्य निष्पादन और/या उद्यमों के समूह और/या उत्पादों और/या क्षेत्रों के निर्यात निष्पादन पर कथित रूप से निर्भर भी हैं, इसलिए विशिष्ट और प्रतिसंतुलन योग्य हैं ।

6. निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी अन्य सब्सिडियों की जांच करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं जिन्हें मौजूद पाया जाए और जांच की प्रक्रिया के दौरान संबद्ध वस्तु के उत्पादकों और निर्यातकों द्वारा जिनका लाभ उठाया गया हो।

घ क्षति और कारणात्मक संबंध का आरोप

7. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदक ने यह सिद्ध करते हुए प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि आयातों ने भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना को वास्तिवक रूप से बाधित किया है। आवेदक ने दावा किया है कि आयातों की मात्रा में घरेलू उद्योग के उत्पादन शुरू करने के बावजूद भारी वृद्धि हुई है। आयात कीमतें कीमतें कच्ची सामग्री की लागत से भी कम हो गई हैं। यह भी दावा किया गया है कि आयातों के कारण घरेलू उद्योग की वास्तविक और अनुमानित कीमतों में कटौती हो रही है और घरेलू कीमतों में भारी गिरावट से घरेलू कीमतों में ह्रास और न्यूनीकरण हुआ है। आवेदक ने विशेष ध्यान दिलाया है कि वे काफी कम कीमत पर आयातों के कारण अपनी अनुमानित कीमत वसूलने में असमर्थ रहे हैं। इससे कम क्षमता उपयोग उत्पादन और बिक्रियों के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है जो अनुमानित स्तर से काफी कम है क्योंकि आयातों ने घरेलू उद्योग को उनकी 50 प्रतिशत प्रचालन अवधि में उत्पादन बंद करने के लिए बाध्य कर दिया है। आधे से अधिक बाजार हिस्से की मांग पूरी करने की क्षमता के बावजूद घरेलू उद्योग केवल 10 प्रतिशत से कम मांग पूरी कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप काफी मालसूची एकत्रित हो गई है। आवेदकों ने दावा किया है कि वे अपनी परिवर्तनशील लागतों की भी वसूली करने में असमर्थ हैं और उन्हें भारी घाटा, नकद घाटा और नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक आय का सामना करना पड़ा है। संबद्ध देश से संबद्ध आयातों द्वारा वास्तविक मंदी के रूप में घरेलू उद्योग को हुई क्षति के पर्याप्त प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं। चूंकि घरेलू उद्योग केवल जांच अवधि के दौरान चालू रहा था, इसलिए प्राधिकारी ने हुई क्षति की मात्रा की जांच के लिए तिमाही आधार पर घरेलू उद्योग का क्षति मार्जिन निर्धारित किया है।

ड. जांच की शुरूआत

8. प्राधिकारी पाते हैं कि थाइलैंड में संबद्ध वस्तु के उत्पादन और/या निर्यात पर प्रतिसंतुलन योग्य सब्सिडियों की मौजूदगी के प्रथमदृष्टया साक्ष्य हैं और ऐसे सब्सिडी प्राप्त आयातों के कारण देश में घरेलू उद्योग की स्थापना में वास्तविक बाधा आई है।

9. उक्त स्थिति के मद्देनजर प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 6 के अनुसार कथित सब्सिडीकरण और घरेलू उद्योग की स्थापना में परिणामी वास्तविक मंदी की जांच की शुरूआत करते हैं ताकि किसी कथित सब्सिडीकरण की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

च. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

10. यह आवेदन मेघमनी फाइनकैम लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक देश में संबद्ध वसतु का एकमात्र उत्पादक है जिसने जून, 2022 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है।

11. आवेदक ने बताया है कि उसने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है और यह कि वह संबद्ध देशों में संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक या भारत में संबद्ध वस्तु के आयातक से संबंधित नहीं है।

12. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मेघमनी फाइनकैम लिमिटेड भारत में समान वस्तु का एकमात्र उत्पादक है । आवेदक का भारत में कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख हिस्सा बनता है। उक्त के मद्देनजर और आवश्यक जांच के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक नियम नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

छ विचाराधीन उत्पाद

13. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद एपीक्लोरोहाइड्रीन, संक्षिप्त रूप में ईसीएच है। इस उत्पाद, जिसे सीमाशुल्क वर्गीकरण में भी प्रयुक्त किया गया है, का रासायनिक नाम 1-क्लोरो-2,3- एक्पोक्सीप्रोपेन है। इसका रसायन फार्मूला C_3H_5ClO है।

14. यह एक तीखी लहसुन जैसी महक वाला रंगहीन तरल है जो जल में मामूली रूप से विलेय है, जिसे आम तौर पर 99 प्रतिशत से अधिक की शुद्धता के साथ उत्पादिंत किया जाता है। इसका अधिकांशत: एपोक्सीरेजिन बनाने में

प्रयोग होता है जो इसकी खपत का लगभग 80 प्रतिशत बनता है । इसे भेषज एपीआई, जल उपचार, कागज रसायन, सिंथेटिक रबड़, सर्फेक्टेंट, अधेसिव, इलेस्टोमर्स, प्लास्टिक तथा रबड़ और कांगज में मजबूतीवर्धक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है । इस उत्पाद को प्रोपलीन तथा ग्लेसरीन प्रयोग द्वारा उत्पादित किया जा सकता है ।

15. विचाराधीन उत्पाद को पारंपरिक रूप से प्रोपलीन के प्रयोग द्वारा उत्पादित किया जाता है जहां एलाइन क्लोराइड के उत्पादन हेतु उच्च तापमान पर प्रोपीलीन का क्लोरीनेशन होता है। एलाइल क्लोराहड पृथक होने और एलाइल क्लोराइड के हाइड्रोक्लोरीनेशन के बाद भी डीक्लोहाइडाइन उत्पादित होता है और एलीक्लोराइड प्राप्त होता है । डीक्लोरोहाइडीन ईसीएच के उत्पादन हेतु साबुनीकरण से गुजरती है जिसे बाद में सुद्धीकृत किया जाता है । तथापि, इस उत्पादन प्रक्रिया से अत्यधिक अपशिष्ट उत्पन्न होता है और इस प्रकार निपटान हेतु उच्च पूंजीगत व्यय अपेक्षित है । इन चुनौतियों से निपटने के लिए अब ईसीएच को जैव आधारित ग्लाइसरीन के प्रयोग से उत्पादित किया जा रहा है जो एक पर्यावरणअनुकूल उत्पादन प्रक्रिया है ।

16. संबद्ध वस्तु को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के शीर्ष 2910 के उपशीर्ष 2910 30 00 के तहत वर्गीकृत किया जाता है । सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

ज. <u>समान वस्तु</u>

17. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु और संबद्ध देश से निर्यातित वस्तु में कोई ज्ञात खास अंतर नहीं है । यद्यपि आवेदक ने जैव आधारित ग्लाइसरीन पद्धति से संबद्ध वस्तु उत्पादित की है । तथापि, इस उत्पाद को प्रोपीलीन के प्रयोग द्वारा भी उत्पादित किया जा सकता है । आवेदक ने बताया है कि प्रोपलीन के प्रयोग से विनिर्मित और ग्लाइसरीन के प्रयोग से उत्पादित उत्पाद में कोई अंतर, यदि को हो, नहीं है । दोनों पद्धतियों के प्रयोग से उत्पादित ईसीएच में समान तकनीकी और भौतिक विशेषताएं, अनुप्रयोग, कीमत निर्धारण और उपभोक्ता होते हैं । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु संबद्ध देश से आयातित वस्तु से तकनीकी विनिर्देशनों, कार्य और प्रयोग, कीमत निर्धारण वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय है । आवेदक ने दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं । अत: प्रस्तावित जांच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां निर्यातित संबद्ध वस्तु के ''समान वस्तु'' के रूप में माना जा रहा है ।

झ. <u>शामिल देश</u>

18. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ संबद्ध देश थाइलैंड है ।

ञ. <u>जांच की अवधि</u>

19. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 (12 माह) की है। क्षति विश्लेषण अवधि में जांच अवधि और तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और जांच की अवधि शामिल है। इसके अलावा, चूंकि आवेदक केवल जांच अवधि के दौरान प्रचालन में था, इसलिए आवेदक के तिमाहीवार निष्पादन का भी विश्लेषण किया जाएगा ।

ट. <u>प्रक्रिया</u>

20. नियमावली के नियम 7 के अंतर्गत यथा प्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच के लिए पालन किया जाएगा ।

ठ. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

21. प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस वर्ल्ड फार्मेट में और आंकड़ों की फाइल एम एस एक्सल फार्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

22. संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उत्पादक को नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

23. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी ऊपर उल्लिखित ईमेल पतों में निर्धारित समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से जांच से संगत अपने अनुरोध कर सकता है।

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

25. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए वे प्राधिकारी की आधिकारिक वैबसाइट अर्थात http://www.dgtr.gov.in/ को नियमित रूप से देखते रहें।

ड. समय सीमा

26. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना प्राधिकारी को नियमावली के नियम 7(4) के अनुसार इस नोटिस के प्राप्त की तारीख से तीस दिन (30 दिन) के भीतर adg13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in और dd15-dgtr@gov.in प्राप्त हो जानी चाहिए। तथापि यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने या निर्यातक देशों के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ मान लिया जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियामवली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान जांच में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर /अनुरोध प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है।

ढ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

28. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 8(2) और इस संबंध में जारी व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उक्त का पालन नहीं करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।

29. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

30. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से गोपनीय या अगोपनीय अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

31. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

32. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।अन्य इच्छुक पक्ष दस्तावेज़ का गैर-गोपनीय संस्करण प्रापत होने के 7 दिनों के भीतर दावा की गई गोपनीयता पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं।

33. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप से अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

34. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

35. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ण. सार्वजनिक फाईल का निरीक्षण

36. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उन सभी से इस अनुरोध के साथ डी जी टी आर की वैबसाइट पर अपलोड की जाएगी कि वे ई-मेल के माध्यम से सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों/उत्तर/सूचना का अगोपनीय अंश भेज दें । अनुरोधों/उत्तर/सूचना के अगोपनीय अंश को परिचालित नहीं करने पर किसी हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी माना जा सकता है ।

त. असहयोग

37. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department Of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2023

Case No – CVD(OI) – 02/2023

Subject: - Initiation of countervailing duty / anti-subsidy investigation concerning imports of "Epichlorohydrin" originating in or exported from Thailand.

F. No. 06/24/2023-DGTR.—1. Having regards to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the "Rules or CVD Rules"), Meghmani Finechem Limited (hereinafter referred to as the "Applicant") has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the "Authority") for initiation of countervailing duty investigation concerning imports of "Epichlorohydrin" (hereinafter referred to as the "subject goods" or the "product under consideration" or "ECH") originating in or exported from Thailand (hereinafter referred to as the "subject country").

A. Allegation of subsidization

2. The applicant has alleged that the producers/exporters of the subject goods in the subject country have benefitted from the actionable subsidies provided by various levels in the Government of Thailand, including the Governments of the different provinces and municipalities in which the producers/exporters are located, and other 'Public Bodies'. The applicant has relied upon relevant Laws, Rules and Regulations and other notifications of the relevant Government Agencies and Public Bodies as available in the public domain.

B. Consultation

3. In terms of Article 13 of the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, the opportunity for consultation was given to the Government of the Kingdom of Thailand by scheduling a meeting on 25th September 2023. However, the Government of the Kingdom of Thailand did not attend the meeting.

Accordingly, the Authority is proceeding with the initiation of the investigation.

C. Subsidy programs

4. The *prima facie* evidence provided by the applicant shows that the producers and exporters of the subject goods in the subject country have benefitted from a number of subsidies granted by the Government and / or other public bodies in the subject country.

Program 1 – Exemption from import duties on imports of machinery.

Program 2 – Exemption from Import duty on Raw or Essential Material Imported for use in production of exported goods.

Program 3 – Exemption from import duty on raw or essential materials not produced or originating in Thailand.

Program 4 – Duty Drawback.

Program 5 – Tax and Duty Compensation for exports.

Program 6 – Income Tax Exemption.

Program 7 – Income Tax Exemption on intellectual property fees.

Program 8 – Income Tax Exemption on dividends earned.

Program 9 – Exemptions with regard to Investment Promotion Zone.

Program 10 – Exemption of Import duty for Bonded Warehouses.

Program 11 – Merit based Additional Incentives for Increase in Competitiveness Enhancement.

Program 12 – Special exemption from taxes or duties on imported machinery, capital goods or goods for construction of factory by entities in Industrial Estate Area.

Program 13 – Special exemption from taxes or duties on imported raw materials by entities in Industrial Estate Area.

Program 14 – Supply of electricity at less than adequate remuneration for entities in Industrial Estate Area.

Program 15 – Provision of Land at less than adequate remuneration for entities in Industrial Estate Area.

Program 16 – Short Term Credit for import of raw materials, inputs or capital goods for production of goods intended for export.

Program 17 – Medium-Long term loan to exporters for expansion of production capacity.

Program 18 – Short Term Credit insurance to SMEs and Small businesses engaged in export of products.

Program 19 – Medium and long-term export insurance to exporters.

5. It has been alleged that the above schemes are subsidies since they involve a financial contribution from the Government of Thailand or other regional or local governments, including public bodies and confer benefits to the recipients. They also alleged to be contingent upon export performance and/or limited to certain enterprises or groups of enterprises and/or products and/or regions, therefore, are specific and countervailable.

6. The Designated Authority reserves the right to investigate other subsidies, which may be found to exist and availed by the producers and exporters of the subject goods, during the course of the investigation.

D. Allegation of injury and causal link

7. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished *prima facie* evidence establishing that the imports have materially retarded the establishment of the domestic industry in India. The applicant has claimed that the volume of imports is substantial despite the domestic industry commencing production. The import prices have declined even below the raw material cost. It has also been claimed that the imports are undercutting the actual as well as the projected prices of the domestic industry, and the significant decline in prices is suppressing and depressing the domestic prices. The applicant has highlighted that they have been unable to achieve their projected prices due to the significantly low import prices. This has adversely impacted the performance of the domestic industry with respect to the low-capacity utilization production and sales, which are much below the projected levels as the imports forced the domestic industry to suspend operations for 50% of their operating period. Despite having the capacity to cater to more than half the market share, the domestic industry has been able to cater to less than 10%, resulting in a significant accumulation of inventories. The applicant has claimed that they are unable to recover even their variable costs and have faced significant losses, cash losses and negative return on capital employed. There is sufficient *prima facie* evidence of injury being caused to the domestic industry in the form of material retardation by the subject imports from the subject country. Since the domestic industry

was operational only during the period of investigation, the Authority has determined the injury margin for the domestic industry on a quarterly basis to examine the extent of injury caused.

E. Initiation of the Investigation

8. The Authority finds that there is *prima facie* evidence of the existence of countervailable subsidies on the production and/or export of the subject goods in Thailand and such subsidized imports are causing material retardation to the establishment of the domestic industry in the country.

9. In view of the above position, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged subsidization and the consequent material retardation to the establishment of the domestic industry in terms of Rule 6 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged subsidization and to recommend the amount of countervailing duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

F. Domestic industry and standing

10. The application has been filed by Meghmani Finechem Limited. The applicant is the sole producer of the subject goods in the country, having commenced commercial production in June 2022.

11. The applicant has stated that it has not imported the subject goods from the subject country and that it is not related to any exporter of the subject goods in the subject country or importer of the subject goods in India.

12. The Authority notes that Meghmani Finechem Limited is the sole producer of like article in India. The applicant accounts for a major proportion of the total domestic production in India. In view of the above and after due examination, the Authority notes that the applicant constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2(b) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 6(3) of the Rules.

G. Product under consideration

13. The product under consideration in the present investigation is Epichlorohydrin, abbreviated as ECH. The chemical name of the product, which is also used in the customs classification is 1-chloro-2,3-expoxypropane. Its chemical formula is C3H5ClO.

14. It is a colourless liquid with a pungent, garlic-like odour, moderately soluble in water, generally produced with purities of greater than 99%. It is majorly used to make epoxy resins, which account for nearly 80% of its consumption. It is also used in Pharmaceutical API, water treatment, paper chemicals, synthetic rubbers, surfactants, adhesives, elastomers, plastics and rubbers and as a strength additive in papers. The product can be produced using propylene as well as using glycerine.

15. The product under consideration is conventionally produced using propylene, where propylene chlorination is done at high temperatures to produce allyl chloride. Following allyl chloride separation and allyl chloride hydrochlorination, dichlorohydine is produced and allychloride is recovered. Dichlorohydine undergoes saponification to produce ECH which is then purified. However, such a production process results in high waste generation and thus, requires high capital expenditure for disposal. To overcome these challenges, ECH is now produced using bio-based glycerine, which is an environment friendly production process.

16. The subject goods are classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act under the heading 2910 under the subheading 2910 30 00. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

H. Like article

17. The applicant has claimed that there are no known significant differences in the goods produced by the domestic industry and those exported from the subject country. While the applicant has produced the subject goods using the bio-based glycerine route, the product can be produced using the propylene route as well. The applicant has submitted that there are no differences in the product manufactured using propylene, if any, and that produced using glycerine. ECH produced using both routes have the same technical and physical characteristics, applications, pricing and customers. The subject goods produced by the domestic industry are comparable to the imported goods from the subject country in terms of technical specifications, functions & uses, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The applicant claimed that the two are technically and commercially substitutable. Therefore, for the purpose of the proposed investigation, the subject goods produced by the applicant are being treated as 'like articles' to the subject goods originating in or exported from the subject country.

I. Country involved

18. The subject country for the present investigation is Thailand.

J. Period of investigation

19. The period of investigation for the purpose of the present investigation is 1st April 2022 to 31st March 2023 (12 months). The injury analysis period covers the period of investigation and the three preceding financial years

2019-20, 2020-21, 2021-22 and the period of investigation. Further, since the applicant was operational only during the period of investigation, the quarterly performance of the applicant will also be analyzed.

K. Procedure

20. Principles as given in Rule 7 of the Rules will be followed for the present investigation.

L. Submission of Information

21. All communication should be sent to the Authority via email at the email addresses dd15-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, and adg13-dgtr@gov.in, It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS Work format and data files are in MS Excel format.

22. The known producers/exporters from the subject country, their Government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic producer are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

23. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time limit set out below on the email addresses mentioned hereinabove.

24. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.

25. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Authority http://www.dgtr.gov.in/ for any updated information with respect to this investigation.

M. Time Limit

26. Any information relating to the present investigation should be to the Authority via email at the email addresses dd15-dgtr@gov.in, jd13-dgtr@gov.in, adv11-dgtr@gov.in, and adg13-dgtr@gov.in, within thirty days (30 days) from the date of receipt of the notice as per Rule 7(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its finding on the basis of the facts available on records in accordance with the Rules.

27. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant investigation and file their questionnaire response/submissions within the above time limit.

N. Submission of information on confidential basis

28. Any party making any confidential submission or providing information on a confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 8(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

29. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

30. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

31. The confidential version shall contain all information that is by nature confidential and/or other information that the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

32. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the

document.

33. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or in summary form, it may disregard such information.

34. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

35. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

O. <u>Inspection of Public File</u>

36. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions/response/information to all other interested parties. Failure to circulate a non-confidential version of submissions/response/information might lead to the consideration of an interested party as non-cooperative.

P. <u>Non-cooperation</u>

37. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP**,** Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.10.03 21:10:38 +05'30'